स्पीड पोस्ट द्वारा/ BY SPEED POST

केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय
HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-04
Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204
e-mail:cgst.hydcommr@gov.in

सी॰ सं॰C.No. II/3/05/2020- Estt (CCA)

दिनांक Dated: 8 .10.2021

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं. 33/2021
ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) No. 33/2021

विषय: स्थापना–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क, हैदराबाद / वैजाग क्षेत्र के निरीक्षक संवर्ग में अनंतिम नियुक्ति एवं तैनाती – संबन्धित

Sub: Estt. –Provisional Appointment and Posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Customs, Hyderabad/Vizag Zone–Regarding.

*****

संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा – 2017 (सीजीएलई) के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित निम्नलिखित उम्मीदवारों को बोर्ड के पत्र F.No.A-12034/SSC/10/2017-Ad.III(B) दिनांक 29.06.2020 के अनुसार हैदराबाद संवर्ग नियंत्रण क्षेत्र में केन्द्रीय कर निरीक्षकके रूप में आवंटित किया जाता है और अस्थायीरूप से,अगले आदेशों तक,सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स (लेवल –7) में प्रवेश वेतन (एंट्री पे) रु॰ 44,900/- [पुराने वेतनमान रु॰ 9300 - 34800 के वेतनमान में, पे-बैंड- 2 के अंतर्गत रु॰ 4600/- के ग्रेड-पे] और निरीक्षकसंवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ है, नियुक्त किया जाता है। अधिकारियों की अनंतिम नियुक्ति,इनके नामों के आगे दर्शाए गए आवंटित क्षेत्रों में इनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

The following candidate nominated by the Staff Selection Commission on the basis of result of Combined Graduate Level Examination (CGLE)-2017 and allocated to the Hyderabad Cadre Control Zone for the post of Inspector of Central Tax, vide Board's letter F.No.A-12034/SSC/10/2017-Ad.III(B) dated 29.06.2020, is hereby appointed as Inspector provisionally, until further orders in the entry pay of Rs. 44,900/- as per the Seventh CPC pay matrix (Level – 7) which corresponds to pre-revised pay scale of Rs.9300 - 34800, under PB 2 with Grade Pay of Rs.4600/- and such dearness and other allowances as admissible to the Cadre of Inspector from time to time. His provisional appointment shall take effect from the date of joining in respective Zone allotted against his name.

S. No	Rank	NAME (Shri./Smt./Kum.)	Date of Birth	Zone Allotted
1	5440	Sri Karamthot Hemanth Kumar	30-07-1992	Hyderabad

2. उम्मीदवारों को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक [वर्ग – ख (अराजपत्रित) अधिकारी] भर्ती नियम, 2016 एवं सीसीएस (आचरण) नियम, 1964, यथा संशोधित,के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

The Candidate will be governed by the provisions of the Central Excise and Customs Department Inspector [Group B (Non-Gazatted officers] Recruitment Rules, 2016 & CCS (Conduct) Rules, 1964 as amended.

3. उपरोक्त नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर होगी, जो सीसी नंबर-3498/2020 के साथ लंबित मामले के परिणाम के अधीन, सीजे एंड जेएमएफसी कोर्ट, देवनाहल्ली (बैंगलोर) में और अगले आदेश तक होगी।

The above appointment will be purely on a temporary/provisional basis, **subject to the outcome of the case pending trial with CC No-3498/2020, at CJ & JMFC court, Devanahalli(Bangalore)** and until further orders.

4. उम्मीदवार अनंतिम नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पुष्टि के लिए अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना और सीसी संख्या-3498/2020 के साथ लंबित मामले के परिणाम के अधीन सीजे एंड जेएमएफसी न्यायालय, देवनाहल्ली बंगलौर में उन्हें उक्त पद पर पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा। परिवीक्षा की अवधि असाधारण मामलों में केवल वास्तविक कारणों पर, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण/नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई जाएगी।

The candidate shall be on probation for a period of two years from the date of provisional appointment. On completion of the probation period satisfactorily, on passing the Departmental Examination, completion of mandatory induction training for confirmation **and subject to the outcome of the case pending trial with CC No-3498/2020, at CJ & JMFC court, Devanahalli(Bangalore)** he will be considered for confirmation in the said post. The period of probation will be extended in exceptional cases, only on bona-fide reasons, by the Cadre Controlling Authority/Appointing Authority.

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(2)(a) के अनुसार उनकी सेवाएँ, एक महीने के नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को तत्काल या नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उनकी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

The candidate services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Rule 5(2)(a) of Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice.

6. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबन्धित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे, उनकी लोकसेवा की शाखा पर, समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, the candidate is governed by the rules and the orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

7. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा / इस प्रभाव के सत्यनिष्ठ अभिकथन देना होगा।

On joining the post, the candidate will be required to take an Oath of allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

8. यदि वे स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी नहीं की है, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

The candidate will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

9. भारत सरकार के अधीन में भर्ती के लिए लागू उपयुक्त नियमों के अनुसरण में;

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India:

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो, एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे आदेश देने के विशेष कारण हैं।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति की पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।

(b) No such women whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

10. यह अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करे। अगर वे उपर्युक्त शर्तें को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाए और आगे की सूचना, समयानुसार, प्रेषित की जाएगी।

This offer of provisional appointment is, therefore, conditional upon the candidates' satisfying the requirements mentioned. In case, he doesn't fulfill the above conditions and he desired to be exempted from the above mentioned rules for any reason, he should make a representation in this behalf immediately. This offer of provisional appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him in due course.

11 तेलंगाना/आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद/विशाखापटनम क्षेत्र के निरीक्षक के सामान्य संवर्ग में उम्मीदवार की परस्पर-वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी।

The candidates' inter-se-seniority in the common cadre of Inspector of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana/Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

12. उम्मीदवार को किसी भी समय तेलंगाना/आंध्रप्रदेश के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तेलंगाना/आंध्रप्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी तैनाती से संबन्धित किसी भी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं कियाजाएगा।

The candidate is liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana/Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana/Andhra Pradesh will be entertained.

13. उम्मीदवार अपनी धार्मिक आस्था बदलने की सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को दें।

The candidate should intimate the appointing authority as and when he changes their religious faith.

14. अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही आवेदन दे चुके हैं / किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुके है तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालयों या कहीं और अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

The candidates should also intimate at the time of reporting for duty, if they had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of their applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

15. यदि उम्मीदवारकेन्द्र / राज्य सरकार / भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रित या स्वामित्व वाले या राज्य सरकार / किसी उपक्रम / विश्वविद्यालय / स्वतंत्र निकाय, में कार्यरत है तो उन्हें संबन्धित नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

If candidate is employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an autonomous body / University / local body, they should produce proper relief report from the employer concerned.

16. यदि उम्मीदवारपद त्यागने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने इस अभिप्राय के विषय में 1 माह पूर्व नोटिस देना होगा और केंद्रीय शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर वे प्रासंगिक नियमों में उल्लेखित अर्थदण्ड के जिम्मेदार होंगे।

If the candidate desires to resign, he should give one month notice in advance about their intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Central Tax and Customs. Failure to do so will render his liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

17. यदि उम्मीदवारके पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X.10) है, तो उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को, कार्यभार ग्रहण करने / ड्यूटी पर उपस्थिति के समय, लौटाना होगा।

The candidate should surrender his Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of joining / reporting for duty.

18. यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में (एम एच ए ओ एम संख्या 42/21/49-NGS दिनांक 28.01.1952 में यथासंशोधित,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-Estt (Res) दिनांक 02.07.1997 में यथासंशोधित भाग), उल्लेखित किसी भी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे नोट करें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यमों माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है, यदि उनका अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का या क्रीमी लेयर के न होने का दावा झूठा पाया पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताए और बिना पक्षपात के,भारतीय दंड संहिता में झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबन्धित

जाने की कार्यवाही सहित समाप्त कर दी जाएगी । उन्हें नियुक्ति के पश्चात अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी, यदि कोई हो तो, तत्काल ही संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए।

If the candidate claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, he has to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A.O.M No. 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended /DOPT O.M.No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue authorities mentioned therein. He should note that his appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or the candidates do not belong to such category and the certificate is found to be false, his services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing/ Administrative Authorities concerned.

19. यदि उम्मीदवारके द्वारा की गई घोषणा या प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती हैतथा उनके द्वारा जानबूझकर किसी वैवाहिक जानकारी को छिपाया जाता है तो वे सेवाओं से हटाए जाने के और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली किसी कानूनी / आपराधिककार्यवाही के उत्तरदाई होंगे ।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false or if he is found to have willfully suppressed any marital information, he will be liable for removal from service and other legal/criminal action as Government may deem necessary.

20. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत्त, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र,पिछले काम की जगह के संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी सतर्कता मंजूरी प्रमाणपत्रकी सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में अनंतिम नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक / कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

This offer of appointment is purely provisional and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District Police Authorities, Caste certificate from the concerned issuing authority, verification of certificate of Education issued by the University/Competent Authority and Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at previous working place In case any adverse report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith other legal/criminal action will also be taken, as a consequence.

21. नियमित तैनाती के पूर्व नव नियुक्त निरीक्षकों को संबंधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

The newly appointed Inspector should undergo the mandatory training in Regional Training Institute concerned before he is given a regular posting.

22. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1-खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ 5/7/2003-ईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के

तहत तकनीकी त्यागपत्र देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidate will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003- published in Gazette of India, Extraordinary, Part I- Section-I, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

23. यदि उम्मीदवारों को उपरोक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य है तो **08.11.2021** को या उससे पहले, हैदराबाद क्षेत्र को आवंटित किए गए उम्मीदवारों को, अपर आयुक्त(सं॰नि॰प्रा॰), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय तथा विशाखापट्टनम क्षेत्र को आवंटित किए गए उम्मीदवारों को, अपर/संयुक्त आयुक्त(मुख्यालय) मुख्य आयुक्त कार्यालय, विशाखापट्टनम के समक्ष, अपने मूल शैक्षिक/जाति/दिव्यांग प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा।यदि वे नियत तिथि पर या उससे पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते है तो यह नियुक्ति आदेश, उन्हें बिना किसी भी संदर्भ को सूचित किए हुए,रद्द समझा जाएगा।तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उन्हें कोई भी यात्रा या अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

The candidate should report before the Joint Commissioner (CCA), Hyderabad GST Commissionerate on or before **08.11.2021** along with Educational/PH/Caste certificates in original, if the above terms and conditions of provisional appointment order are acceptable to him. If he fails to report for duty on or before the stipulated date, this provisional appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him. No travelling or any other allowance will be admissible to him for joining at the place of posting.

24. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।
This order is issued with the approval of the Competent Authority.

8/10/2021

(ए. दीपथी रेड्डी)
(A.DEEPTHI REDDY)
संयुक्त आयुक्त (सीसीए)
JOINT COMMISSIONER (CCA)

प्रति To
संबन्धित व्यक्ति को The Individual

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद /वैजाग क्षेत्र।
   The Chief Commissioner of Central Tax & Customs, Hyderabad/Vizag Zone.
2. नोटिस बोर्ड /स्टॉक फ़ाइल Notice Board/Stock File.
3. कम्प्यूटर अनुभाग को आधिकारिक वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु Computer Section for uploading in Official Website.